पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – /2023

अनवान :

सुभाष पुत्र श्री काशीराम जाति नायक निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1. अधिवक्ता श्री कुन्दनलाल :–वादी

2. राजपैरोकार

डिक्री दिनांक 19/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 10 ए.जी. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स0 50/110 की भूमि में वादी का नाम पप्पड़ो पुत्र काशीराम नाम को दुरूस्त कर सुभाष पुत्र काशीराम नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:11:17 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner